# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. की सहायक कंपनी)

CIN:-L23209KA1988GOI008959

मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030

ई-मेल : investor@mrpl.co.in वेबसाइट: www.mrpl.co.in

दूरभाष.: 824 2270400 फैक्स सं.: 824 2273300

## 29वीं वार्षिक महासभा (AGM) की नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की उनत्तीसवीं वार्षिक महासभा, **शनिवार, 19 अगस्त, 2017 को दोपहर 4.00 बजे,** एमआरपीएल कर्मचारी क्लब, मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग, काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030 में होगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा:

**सामान्य कारोबार**

1. **प्राप्त, विचार कर अपनाना. (क) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा परीक्षित स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा (ख) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्पों को सामान्य संकल्पों के रूप में पारित करना:**

   **यह संकल्प पारित किया गया कि** इस बैठक के समक्ष पेश किए गए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखा परीक्षित स्वतंत्र समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार कर उनको अपनाया जाए तथा एतद्द्वारा विचार कर उनको अपनाया जाता है ".

   **यह संकल्प पारित किया गया कि** इस बैठक के समक्ष पेश किए गए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार कर उनको अपनाया जाए तथा एतद्द्वारा विचार कर उनको अपनाया जाता है ".

2. **श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   **" यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए श्री विनोद एस. शेणै को, जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा इनको पुनर्नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे ".

3. **31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना और इस संबंध में, नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   **" यह संकल्प पारित किया गया कि** 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की पूर्णत: प्रदत्त प्रति रु.10(दस रुपए) के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु.6 (मात्र छह रुपए) की दर से लाभांश घोषित किया जाए जिसे कंपनी के निदेशक की सिफ़ारिश के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी लाभ में से अदा किया जाए. "

4. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और साधारण संकल्प के रूप में नीचे उल्लिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना:**

   **" यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, कंपनी के निदेशकों को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाए और दिया जाता है कि वे, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा यथा नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा कार्य के सिलसिले में फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें तय करें.**

**विशिष्ट कारोबार:**

5. **सुश्री मंजुला सी. (DIN:07733175) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV और कोई अन्य प्रावधान लागू हों तो उनके साथ पठित धारा 149, 152 के प्रावधानों, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 2015 का अनुसरण करते हुए सुश्री सी. मंजुला (DIN:07733175)को, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या C-31034/1/2016-CA/ FTS:46118 दिनांक 31/01/2017 के जरिए गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और बाद में 31/01/2017 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, सुश्री मंजुला सी. (DIN:07733175) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगी."

**6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:**

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (उसमें किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को, इस बैठक के आयोजन से संबंधित नोटिस के साथ संलग्न विवरण में यथा निर्दिष्ट तरीके से ₹1,95,000/- के पारिश्रमिक के साथ देय लागू कर, यात्रा खर्च और फुटकर खर्च अदा किया जाए. "

" **आगे यह संकल्प पारित किया गया कि** निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हों. "

**7. अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)/बांड निर्गमित करते हुए ₹ 3,000 करोड़ तक धनराशि जुटाना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशेष संकल्पों के रूप में पारित करना:**

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा और अन्य लागू प्रावधानों एवं किन्हीं अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों (उसमें किन्हीं सांविधिक आशोधनों अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए, कंपनी (" बोर्ड " )को यह प्राधिकार दिया जाए और यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, समय-समय पर यथा लागू नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और अधिनियम के अनुरूप, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, देशी बाजार में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कंपनी की उधार लेने की शक्ति के अधीन एक अथवा उससे अधिक ट्रांचस/श्रृंखलाओं में ₹ 3,000 तक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD)/बांडों में अभिदान करने की पेशकश करे अथवा आमंत्रण दे."

" **आगे यह संकल्प पारित किया गया कि** निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्द्वारा दिया जाता है कि वह, समय-समय पर ऐसे तमाम कार्य और कृत्य करें जो अंकित मूल्य, निर्गम कीमत, निर्गम आकार, मुद्दत, समय, रकम, जमानत, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन और NCD/बांड जारी करने संबंधी ऐसे अन्य नियम और शर्तें, जो उसके परम विवेकानुसार आवश्यक समझे जाएं, निर्धारित करने सहित जो उस हद तक सीमित नहीं हैं, इन बांडों का निजी स्थानन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं."

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
**दिनेश मिश्रा**
**कंपनी सचिव**

स्थान: मंगलूरु
दिनांक: 19/07/2017

**टिप्पणियां:**

1. जैसे कि नोटिस में कहा गया है, किए जाने वाले विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान इसके साथ संलग्न किया गया है. रिमोट ई-मतदान करने के लिए अनुदेशों के साथ 29वीं वार्षिक महासभा की नोटिस, सदस्यों, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और पात्र दूसरों को अनुमत माध्यम से भेजी गई है.

2. **वार्षिक महासभा में भाग लेकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए भी पात्र होगा जब कि यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो. विधिमान्य और प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी फ़ार्म, कंपनी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में, महासभा शुरु होने से ठीक अड़तालीस घंटे (48 घंटे) पहले पेश करना होगा. खाली प्रॉक्सी फ़ार्म संलग्न किया गया है.**

   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति, अधिकतम पचास सदस्यों की तरफ से प्रॉक्सी बन सकता है और मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम दस प्रतिशत शेयर रख सकता है. मतदान अधिकार के साथ कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाला व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा. लिमिटेड कंपनियों, सोसाइटियों आदि की तरफ से प्रस्तुत प्राक्सियों को यथा लागू उचित संकल्प/प्राधिकार का समर्थन देना होगा.

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कार्पोरेट सदस्यों को महासभा में उनकी तरफ से भाग लेकर मतदान करने का प्राधिकार देते हुए पारित बोर्ड के संबंधित संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी होगी.

4. वार्षिक समापन और लाभांश के प्रयोजन से, कंपनी ने घोषित किया है कि बहियां, 28/07/2017 से 04/08/2017 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मंडल की सिफ़ारिश के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश, बैठक में अनुमोदन मिलने पर,

उन पात्र सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम इस तरह से नज़र आते हैं:

(क) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 27/07/2017 को हितकारी मालिकों के रूप में, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (CDSL) द्वारा पेश की जाने वाली सूची के अनुसार और

(ख) मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, कंपनी अथवा उसके आर एण्ड टी एजेंटों के पास मूर्त रूप में पेश किए गए सभी विधिमान्य शेयरों का 27/07/2017 तक या उससे पहले अंतरण करने के बाद मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 27/07/2017 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज सदस्यों के रूप में.

5. SEBI (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथा आदेशित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा, नोटिस का भाग बनती है. कंपनी के निदेशकों में से कोई भी आपस में रिश्तेदार नहीं है.

6. शेयर अंतरण दस्तावेज और उससे संबंधित तमाम पत्राचार, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, - मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083, ई-मेल mrplirc@linkintime.co.in के पास भेजे जाएं.

7. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची VII के साथ पठित विनियम 40(7) के अनुसार, मूर्त शेयरों के हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी(यों) के लिए अनिवार्य है कि वे, शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण कराने के लिए अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि पेश करें. हंस्तारणकर्ता और हस्तांतरी(रियों) से अनुरोध है कि वे, विधिवत् रूप से भरे गए शेयर अंतरण विलेख और मूर्त शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के साथ अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपियां पेश करें. शेयरों के अंतरण से जुड़े प्रतिभूति बाजार में और/अथवा बाजार के बाहर किए जाने वाले लेन-देन अथवा निजी लेन-देनों के मामले में हस्तांतरी(रियों) और हस्तांतरणकर्ता(ओं) को अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि, कंपनी/रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों, जो भी हो, को पेश करनी होगी ताकि प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण कराया जा सके. अगर पैन कार्ड उपलब्ध न हो तो अर्थात्; अगर सिक्किम का निवासी हो तो प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण कराने के लिए पहचान सबूत पेश करना होगा.

8. अगर किसी सदस्य को, इस बैठक के कारोबार की किसी मद के बारे में कोई जानकारी चाहे तो वह ऐसी दरख्वास्त, 16/08/2017 से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर कंपनी सचिव के पास, ई-मेल investor@mrpl.co.in, पर भेजे जिससे कि उन पर ठीक तरह से गौर किया जा सके. सदस्य, संलग्न नोटिस में यथा निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेजों का, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवस अर्थात्; सोमवार से शुक्रवार तक, दोपहर 3.30 बजे से श्याम 5.00 बजे तक, 19/08/2017 तक अर्थात्; 29वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक निरीक्षण कर सकते हैं.

9. दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्द सुसाध्य बनाने की खातिर कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किए गए " हरित पहल " के उपाय के प्रति समर्थन के रूप में और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 05-11-2011 के परिपत्र सं. CIR/CFD/DIL/7/2011 का और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित बातों का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों अथवा निक्षेपागारों के साथ पंजीकरण कराया हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वार्षिक रिपोर्ट भेजी हैं. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते, कंपनी के पास पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे अब उसका पंजीकरण करा सकता है जिसके लिए कंपनी के वेबसाइट www.mrpl. co.in पर उपलब्ध पंजीकरण फार्म भरकर उसे मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा कंपनी के निवेशकर्ता संबंध विभाग के पास भेज सकते हैं. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपने ई-मेल पते का, सिर्फ़ निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण कराएं. अपने ई-मेल पते का पंजीकरण कराए सदस्य भी, अनुरोध करने पर मूर्त रूप में ऐसी सूचना पाने के हकदार हैं.

10. यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI(लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 का अनुसरण करते हुए 29वीं AGM में पारित किए जाने वाले संकल्पों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने वाले सदस्यों को रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान की गई है. जिन सदस्यों के नाम, 12-08-2017 को अर्थात.; बही बंद होने की प्रक्रिया शुरु होने से एक दिन पहले, सदस्यों के रजिस्टर/हितकारी मालिकों की सूची में नज़र आए उनको इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों पर अपना मतदान करने का हक है. सदस्य, महासभा के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. रिमोट ई-मतदान, 16/08/2017 को प्रातः 9.00 बजे शुरु होकर 18/08/2017 को श्याम 5.00 बजे खत्म होगा. इसके अलावा, मतपत्रों के जरिए मतदान करने की सुविधा भी, AGM के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी और 29वीं AGM में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान से अपना मतदान न किया हो वे भी 29वीं AGM के स्थान पर अपना मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

11. IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 03/09/2016 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी की वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

विव 2009-10 के अदावी लाभांश का अंतरण, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 09/10/2017 तक या उससे पहले निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में करना पड़ेगा.

MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक लाभांश का दावा न किया हो, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा. तदनुसार, कंपनी ने उन प्रत्येक शेयरधारकों को, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किया है, 28/11/2016 और 04/05/2017 को दो नोटिसें जारी करने के साथ-साथ उनको 03/12/2016 और 29/04/2017 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए शेयरधारकों से अनुरोध किया कि वे, वर्ष 2009-10 से आगे अदावी लाभांश का दावा करने के लिए अपने आवेदन पत्र, कंपनी/आरटीए के पास भेजें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अदावी लाभांश का दावा करें जिससे शेयरों का IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण न किया जा सके. कृपया नोट करें कि IEPF प्राधिकरण में अंतरित अदावी लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. लेकिन अदावी शेयरों और लाभांश का, IEPF से दावा करने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf. gov.in. पर उपलब्ध निर्धारित फार्म (IEPF-5) में आवश्यक आवेदन पत्र देना होगा.

12. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार नामांकन सुविधा का उपभोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथा निर्धारित फार्म SH-13 में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम, जिसके पास उनके शेयर, फार्म में उल्लिखित घटना होने पर रहेंगे, नामांकन कर सकते हैं. मूर्त रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति, कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in से फ़ार्म SH-13 डाउनलोड करते हुए उसकी दो प्रतियां, कंपनी के आरटीए को भेज सकते हैं. अगर शेयर अमूर्त रूप में हों तो संबंधित DP के पास नामांकन दर्ज कराना होगा.

13. एक से अधिक फोलियो में मूर्त रूप में एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, समेकन कराने की खातिर संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी अथवा अपने RTA के पास आवेदन करें.

14. सदस्यों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन होते ही इनको अधिसूचित करें:

    i) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में DP को, और

    ii) अगर कोई शेयर मूर्त रूप में हों तो उनकी फोलियो संख्या के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा उसके RTA को.

15. अनिवासी सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को इस बारे में सूचित करें:

    i) स्थाई तौर पर निवास करने की खातिर भारत लौटने पर अपनी निवासीय स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में.

    ii) अगर पहले पेश न किया गया हो तो पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार के साथ भारत में रखे गए उनके बैंक खाते के विवरण, खाता संख्या, IFSC Code, MICR संख्या और पिन कूट संख्या के साथ बैंक का पता जिससे कि कंपनी, उक्त खाते में लाभांश सीधे प्रेषित कर सके.

16. सेबी (लिस्टिंग संबंधी बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, सेबी ने सभी संबंधितों को सलाह दी है कि वे, नकद भुगतान अर्थात्; निवेशकर्ताओं के लाभांश, ब्याज, प्रतिदान अथवा चुकौती रकम का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का उपयोग करें. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का प्रयोग करना संभव न हो तो सममूल्य पर देय वारंट अथवा चेक अथवा मांग ड्राफ़्ट जारी किए जाएं. उस/उन शेयरधारक/कों के संबंध में जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना संभव न हो सेबी ने उनको जारी किए गए लाभांश वारंट लिखतों पर बैंक के ब्यौरे मुद्रित कराने की सलाह दी है. लेकिन उन शेयरधारकों के मामले में जिनके बैंक के ब्यौरे उपलब्ध न हों, कंपनी, इस तरह के भुगतान लिखतों पर निवेशकर्ताओं के पते अनिवार्य तौर पर मुद्रित करेगी.

    मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.mrpl.co.in पर मेनू "Investors" और सब-मेनू "Shareholders" के अधीन ई-भुगतान अधिदेश फार्म सहित विभिन्न फ़ार्म उपलब्ध कराए हैं. शेयरधारक, अपेक्षित फ़ार्म डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार भर कर उसे अनुलग्नकों के साथ आर एण्ड टी एजेंट के पास भेज सकते हैं. फ़ार्म, हमारे आर एण्ड टी एजेंटों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं.

    इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने बैंक के ब्यौरे अद्यतन बनाते समय सिर्फ़ अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागियों (DP) से संपर्क करें. यह भी सलाह दी जाती है कि ये, अपने संबंधित DP से 'Client Master Advice' की मांग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके रेकॉर्ड में सही अद्यतन किया गया है. यह नोट किया जाए कि निक्षेपागारों द्वारा प्रदान किए गए बैंक के ब्यौरों का कंपनी, लाभांश का भुगतान करने के लिए ही इस्तेमाल करती है. इसलिए शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि DP में बैंक के सही ब्यौरे अद्यतन बनाए जाते हैं.

17. रिमोट ई-मतदान और AGM के स्थान पर खुद आ कर मतदान करने की प्रक्रिया पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए कंपनी ने श्री हिमांशू एस. कमदर, मेसर्स रथी एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है. रिमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे, इसके आगे दी गई विस्तृत क्रियाविधियों पर गौर करें.

18. " रिमोट ई-मतदान " से संबंधित विस्तृत क्रियाविधि संलग्न की गई है जो इस नोटिस का ही एक भाग है.

19. महासभा में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वही संयुक्त धारक, जिसका नाम क्रम में सब से पहले हो, महासभा में मतदान करने का हकदार होगा.

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और महत्वपूर्ण कर्मचारियों और उनके शेयरधारण का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत ठेकों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों का हित हो, 29वीं वार्षिक महासभा में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा.

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 का अनुसरण करते हुए सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 का अनुसरण करते हुए उनका पारिश्रमिक, कंपनी द्वारा, वार्षिक महासभा में या इस तरह से तय करनी होगी जो कंपनी, वार्षिक महासभा में निर्धारित करे. कंपनी के सदस्यों ने, 03.09.2016 को संपन्न 28वीं वार्षिक महासभा में निदेशक मंडल को, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक तय करने का प्राधिकार दिया. तदनुसार, निदेशक मंडल ने, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेरीक्षकों का पारिश्रमिक, लागू सेवा कर, शिक्षा उपकर और वास्तविक यात्रा और फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त रु. 23, 00,000/- (मात्र तेईस लाख रुपए) तय किया है. वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए C&AG से अब तक अनुमोदन नहीं मिला है. तदनुसार, सदस्य, बोर्ड को यह प्राधिकार दे सकते हैं कि वह, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का ऐसा पारिश्रमिक निश्चित करे जो वह ठीक समझे.
22. बैठक स्थान तक पहुंचने के लिए दिशा दर्शाने वाला मार्ग मानचित्र, इस नोटिस के अंत में दिया गया है.
23. जिन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्टों की मुद्रित प्रतिलिपि प्रदान की गई हो उनसे अनुरोध है कि वे बैठक के लिए वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतिलिपियां ले आएं. बैठक के स्थान पर वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी. बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों/प्रॉक्सियों को विधिवत् रूप से भरी गई प्रवेश पर्ची लानी होगी जिसे बैठक स्थान पर सुपुर्द करनी होगी.
24. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा.

**नोटिस का अनुबंध**

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान**

नीचे उल्लिखित व्याख्यात्मक बयान में, संलग्न की गई नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है.

**मद सं. 5**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र सं. C-31034/1/2016-CA/ FTS:46118 दिनांक 31/01/2017 के जरिए सुश्री मंजुला सी. (DIN:07733175) को नियुक्ति की अधिसूचना तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, कंपनी के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया और तदनुसार इनको 31.01.2017 से इस वार्षिक महासभा की तारीख तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए एक सदस्य ने कंपनी को नोटिस दी है जिसमें उन्होंने स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए सुश्री मंजुला सी. (DIN:07733175) की पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट किया है. अगर नियुक्त हो तो सुश्री मंजुला, आवर्तन से सेवानिवृत्त नहीं होंगी.

निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त अन्यत्र दिया गया है तो इस नोटिस का एक भाग है.

सुश्री मंजुला सी. कानून में स्नातक हैं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेशेवर अधिवक्ता हैं.

इनको, राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के मुद्दों, शैक्षिक विकास और प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करने में विशेष रुचि है. इनका सहयोग, कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद होगा. तदनुसार सुश्री मंजुला सी. को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है. सुश्री मंजुला सी., बोर्ड के निदेशकों में से किसी की रिश्तेदार नहीं हैं.

सुश्री मंजुला सी. को छोड़कर बाकी के किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, आपके अनुमोदनार्थ संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

**मद सं. 6**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (नियम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा कराने के लिए लागत लेखा परीक्षक को नियुक्त करना पड़ेगा. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, बोर्ड ने, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कं, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्षा के संबंध में अगर कोई लागू कर और वास्तविक यात्रा खर्च हो तो उसके साथ ₹ 1,95,000/- के कुल पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अपना अनुमोदन दिया है.

लेखा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत पारिश्रमिक पर, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ( अधिनियम) की धारा 148 (3) के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा बाद में विचार कर उसके लिए अनुमोदन दिया जाएगा और शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाएगा. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करें.

किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए संकल्पों की सिफ़ारिश करता है.

**मद सं. 7**

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अभिदान करने के आमंत्रण के लिए कंपनी के शेयरधारकों ने प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में एक विशिष्ट संकल्प के जरिए इससे पहले अनुमोदन न दिया हो कंपनी, अपनी प्रतिभूतियों का निजी स्थानन नहीं कर सकेगी. लेकिन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में, वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर से संबंधित तमाम पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार एक विशिष्ट संकल्प पारित करना पर्याप्त होगा.

इन बातों के मद्दे नज़र, कंपनी के सदस्यों का इस आशय का अनुमोदन लिया जा रहा है कि वह निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दे कि वह, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उच्चतम सीमा के अधीन ₹ 3,000 तक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने के प्रति पेशकश अथवा आमंत्रण दे."

कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्तावित विशिष्ट संकल्प पारित करने की सिफ़ारिश की थी.

बहरहाल, किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

## 29वीं वार्षिक महासभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

| निदेशक का नाम / DIN | श्री विनोद एस. शेणै DIN: 07632981 | सुश्री मंजुला सी DIN:07733175 |
|---|---|---|
| जन्म दिनांक | 09-09-1962 | 22-12-1968 |
| बोर्ड पर नियुक्ति तारीख | 08-11-2016 | 31-01-2017 |
| अर्हता और विशेषज्ञता | श्री विनोद एस. शेणै, एक रासायनिक इंजीनियर है जिनको पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक अनुभव है | सुश्री मंजुला सी, कानून में स्नातक हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेशेवर अधिवक्ता हैं |
| अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी निजी और कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनियों को छोडकर) | 1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड<br>2. HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड<br>3. प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड<br>4. HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड | - |
| समितियों के अध्यक्ष/सदस्य | - | - |
| निदेशकों का शेयरधारण | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| निदेशकों के बीच परस्पर संबंध | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

## " रिमोट ई-मतदान " करने संबंधी क्रियाविधि "

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 का अनुसरण करते हुए कंपनी, सदस्यों को 29वीं वार्षिक महासभा (AGM) में विचार किए जाने वाले संकल्प पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने की सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करती है और कारोबार, ई-मतदान सेवाओं के जरिए किया जाए. सदस्यों द्वारा, AGM के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करने की सुविधा, NSDL द्वारा प्रदान की जाएगी.

I. जिन सदस्यों ने AGM से पहले रिमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान किया हो वे AGM में भी भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे.

II. रिमोट ई-मतदान, 16/08/2017 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरु होकर 18/08/2017 को (श्याम 5.00 बजे) खत्म होगा. इस अवधि के दौरान, 12/08/2017 की निर्दिष्ट तारीख को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, रिमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. उसके बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा. सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान करने पर, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

III. रिमोट ई-मतदान की प्रक्रिया और उसका तरीका इस प्रकार है:

अ. अगर सदस्य को NSDL से ई-मेल मिले तो [जिन सदस्यों के ई-मेल ID का कंपनी/निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण कराया गया हो]:

(i) ई-मेल और PDF फाइल खोलें अर्थात्; अपने ग्राहक ID अथवा फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए "remote e-voting.pdf" खोलें. रिमोट ई-मतदान करने के लिए उक्त PDF फाइल में आपका उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड/PIN होगा. कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड, प्रारंभिक पासवर्ड होगा.

(ii) इंटरनेट ब्राउज़र में URL, https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करने के बाद उसे लॉंच करें

(iii) Shareholder - Login पर क्लिक् करें.

(iv) जैसे कि ऊपर कदम (i)में बताया गया है, अपने उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. Login पर क्लिक करें.

(v) पासवर्ड बदलने का मेनू नजर आएगा. अपने पसंदीदा पासवर्ड के साथ, जिसमें कम से कम 8 अंक/अक्षर अथवा दोनों का मिश्रण होना चाहिए, पासवर्ड/PIN बदलें. नया पासवर्ड नोट करें. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप, अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर न करें और अपना पासवर्ड गुप्त रखने के लिए अति सावधानी बरतें.

(vi) remote e-voting opens का होम पेज खुलेगा. remote e-voting : Active Voting Cycles पर क्लिक करें:

“Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited” का “106496” चुनें.

(vii) Cast Vote पन्ना खुलते ही अब आप रिमोट ई-मतदान करने के लिए तैयार हैं.

(ix) उचित विकल्प चुनते हुए अपना मतदान करें और संकेत मिलने पर “Submit” और साथ ही “Confirm” पर क्लिक करें.

(x) पुष्टीकरण होने के बाद, संदेश, “Vote cast successfully” प्रदर्शित होगा.

(xi) आपने एक बार संकल्प पर अपना मतदान कर दिया तो आपको अपने मतदान में आशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.

(xii) संस्थागत शेयरधारकों को (अर्थात्; व्यक्तियों, HUF, NRI आदि से भिन्न), मतदान करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति(PDF/ JPG प्रारूप), संवीक्षक को ई-मेल से associates. rathi@gmail.com के पते पर और उसकी एक प्रति, evoting@nsdl.co.in के पते पर भेजनी होगी.

आ. अगर सदस्य को 29वीं वार्षिक महासभा की मुद्रित प्रति मिले तो [जिन सदस्यों के ई-मेल ID का कंपनी/निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण न कराया गया हो अथवा जिन्होंने मुद्रित प्रति की दरख्वास्त की हो]:

i. प्रारंभिक पासवर्ड, AGM की उपस्थिति पर्ची में दिया जाता है.

ii. अपना मतदान करने के लिए कृपया उक्त क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (xii) में दिए गए सारे कदमों का पालन करें.

IV. अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने की सुविधा को लेकर कोई शिकायत हो तो आप, सदस्यों के लिए अकसर पूछे गए वाले (FAQs) और सदस्यों के लिए रीमोट ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है या टोल फ़्री संख्या 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं.

V. अगर आपने रिमोट ई-मतदान करने के लिए NSDL के पास पंजीकरण कराया हो तो आप अपना मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड/PIN इस्तेमाल कर सकते हैं.

VI. आप, फोलियो के उपयोगकर्ता प्रोफाइल में अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल id को अद्यतन बना सकते हैं जिसका भविष्य में पत्राचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

VII. सदस्यों के मताधिकार, 12/08/2017 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.

VIII. अगर कोई व्यक्ति, जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हो और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना हो और निर्दिष्ट तारीख को अर्थात्; 12/08/2017 को उसके पास शेयर हों तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा mrplirc@linkintime.co.in. के पते पर अपनी दरख्वास्त भेज कर लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नोटिस मिली हो और उसने निर्दिष्ट तारीख अर्थात्; 12/08/2017 को शेयर बेच दिए हों तो वह ऐसी नोटिस सूचनार्थ समझे.

लेकिन अगर आपने रिमोट ई-मतदान करने के लिए NSDL के पास पंजीकरण कराया हो तो आप अपना मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो आप अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं अथवा NSDL से 1800-222-990 पर नि:शुल्क कॉल कर सकते हैं.

IX. रीमोट ई-मतदान के जरिए अपना मतदान करने का हक चलाने के बाद भी सदस्य, AGM में भाग ले सकता है लेकिन उसे वार्षिक महासभा में दोबारा मतदान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी

X. जिस व्यक्ति का नाम, निर्दिष्ट तारीख को निक्षेपागारों में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में अथवा हितकारी मालिकों के रजिस्टर में रेकॉर्ड किया गया हो सिर्फ़ वही, रिमोट ई-मतदान और मतपत्रों के जरिए AGM में मतदान की सुविधा का इस्तेमाल करने का हकदार होगा.

XI. कंपनी के सदस्यों को मतदान और रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से श्री हिमांशु एस. कमदर, साझेदार (पेशा प्रमाणपत्र संख्या : 3030), मेसर्स राठी एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, मुंबई को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

XII. कंपनी अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करते ही संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम, कंपनी की वेबसाइट अर्थात्; www.mrpl.co. in and NSDL की वेबसाइट पर प्रकट किए जाएंगे और शेयर बाजारों को सूचित किए जाएंगे.

एमआरपीएल की 29वीं AGM के स्थान का मार्ग मानचित्र

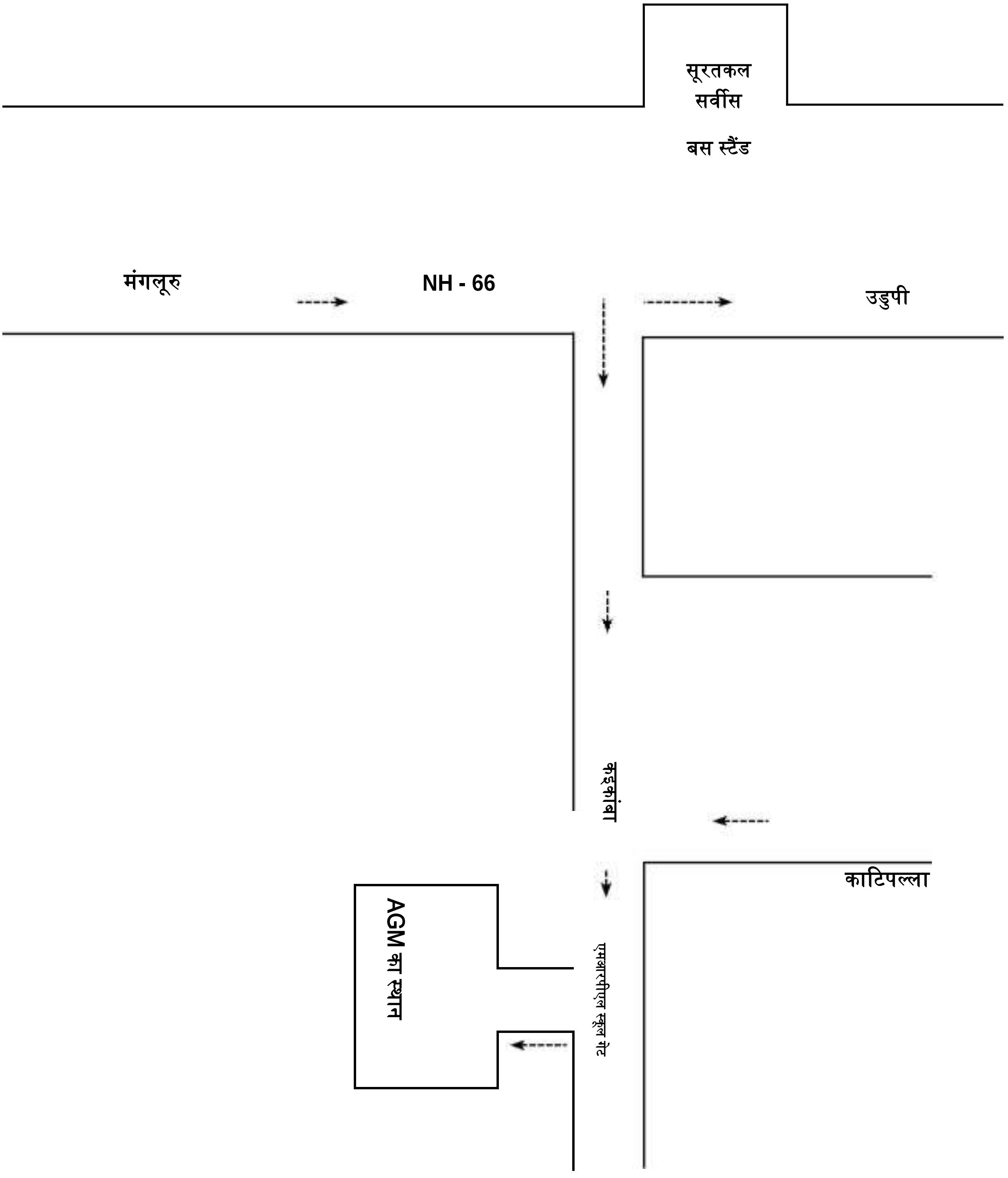

## मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक
**वेबसाइट :** www.mrpl.co.in; **ई-मेल Id :** investor@mrpl.co.in
**CIN :** L85110KA1988GOI008959

## उपस्थिति पर्ची

### शनिवार, 19 अगस्त, 2017 को 29वीं वार्षिक महासभा

| | |
|---|---|
| **पंजीकृत फोलियो सं. / DP ID – ग्राहक ID :** | |
| **शेयरधारक का नाम और पता**<br><br><br>**संयुक्त शेयरधारक** | |
| **कुल शेयर** | |
| मैं/हम, एतद्वारा, शनिवार, 19 अगस्त, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक में संपन्न कंपनी की 29वीं वार्षिक महासभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करता/करती हूँ. | |

_______________________      _______________________

सदस्य / प्रॉक्सी का नाम, मोटे अक्षरों में      सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: कृपया यह उपस्थिति पर्ची भरकर उसे सभागृह के प्रवेश द्वार पर सौंपें.

✂ -----------------------------------------------------------------------

### इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी विवरण

| **EVEN**<br>**(इलेक्ट्रॉनिक मतदान स्थान संख्या)** | यूज़र **ID** | **पासवर्ड** |
|---|---|---|
| | | |

नोट: कृपया 29वीं वार्षिक महासभा की नोटिस के साथ मुद्रित अनुदेश पढ़ें. मतदान, 16 अगस्त, 2017 को प्रात: 09.00 बजे शुरु होकर शुक्रवार, 18 अगस्त, 2017 को श्याम 5.00 बजे ख़त्म होगा. उसके बाद मतदान करने के लिए मतदान मॉड्यूल, NSDL द्वारा अक्षम किया जाएगा.

✂ -----------------------------------------------------------------------

## मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, मार्ग काटिपल्ला, मंगलूरु - 575 030, कर्नाटक .
वेबसाइट : www.mrpl.co.in; ई-मेल Id : investor@mrpl.co.in **CIN :**
L85110KA1988GOI008959

## प्रॉक्सी फ़ॉर्म - MGT 11

**(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) का अनुसरण करते हुए)**

### शनिवार, 19 अगस्त, 2017 को 29वीं वार्षिक महासभा

| | | |
|---|---|---|
| सदस्य(स्यों)का/के नाम<br>पंजीकृत पता | | ई-मेल Id:<br>फोलियो सं/ग्राहक Id:DP ID: |

मैं/हम, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के ______________________ शेयर रखने वाले सदस्य होने के नाते इनको

1. नाम:______________________________________________
   पता: ______________________________________________
   हस्ताक्षर: ____________________________________, अथवा ये उपलब्ध न हो तो
2. नाम: ______________________________________________
   पता: ______________________________________________
   हस्ताक्षर: ____________________________________., अथवा ये उपलब्ध न हो तो
3. नाम: ______________________________________________
   पता: ______________________________________________
   हस्ताक्षर: ____________________________________

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 19 अगस्त, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे होने वाली कंपनी की 29वीं वार्षिक महासभा में और पिछले पृष्ठ में उन संकल्पों में अगर कोई स्थगन किया गया हो तो उस तारीख को मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी तरफ से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होकर मतदान करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ.

| साधारण कारोबार के लिए संकल्प | | पक्ष में | विरोध में | प्रवरित रहना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्वतंत्र वित्तीय विवरण, उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सी एण्ड एजी की टिप्पणियों और कंपनी के और लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार कर उनको अपनाना. | | | |
| 2 | श्री विनोद एस शेणै (DIN:07632981) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना. | | | |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश घोषित करना. | | | |
| | 4कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकार देना कि वह, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करे. | | | |
| **विशिष्ट कारोबार, साधारण संकल्प** | | | | |
| 5 | सुश्री मंजुला सी (DIN:07733175))को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना. | | | |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना. | | | |
| **विशिष्ट कारोबार, साधारण संकल्प** | | | | |
| 7 | अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCD)/बांडों के निर्गम के जरिए धनराशि जुटाना. | | | |

रु. 1 का

राजस्व

स्टांप लगाएं

आज के दिन ________________ ____________________2017 को हस्ताक्षर किए गए.

________________________

सदस्य के हस्ताक्षर

**टिप्पणी:**

1. प्रभावशाली होने के लिए यह प्रॉक्सी फ़ार्म, विधिवत् रूप से भरकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, महासभा शुरु होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा कराना होगा.
2. संबंधित संकल्पों के प्रति उचित स्तंभ में बक्से में कृपया '✓' निशान लगाएं. अपनी वरीयता सूचित करना वैकल्पिक है. अगर आप किसी संकल्प अथवा सभी संकल्पों के सामने उसके पक्ष में, विरोध में अथवा प्रवरित रहकर, स्तंभ खाली छोड़ें तो आपके प्रॉक्सी को उसी तरह से मतदान करने का हक होगा जैसे वे ठीक समझें.
3. प्रॉक्सी नियुक्त करने से किसी सदस्य पर, अगर वह चाहे तो, खुद आकर महासभा में भाग लेने से रोक नहीं लगाई जाएगी.